संचिका सं०–6 एस०एस०(6)07 / 2020– 2611 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–02 / 06 / 2026.

विषय–– वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" हेतु ₹ 916.015 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–1992, दिनांक–07.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" हेतु ₹ 916.015 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी तथा तालाब निर्माण / भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–I, II ,III, IV एवं V के रूप में संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना है जिससे अव्यवहृत पड़े इन चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ–साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का अभिसरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सके। इससे राज्य न केवल मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दूसरे राज्यों को मत्स्य निर्यात भी कर सकेगा।

3. मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के क्रियान्वयन से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है :–

(i) अव्यवहृत पड़े निजी चौर भूमि का उपयोग मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि उत्पादन हेतु किया जा सकेगा।

(ii) उपयुक्त तकनीकी मॉडलों के जरिये उत्पाद में विविधता से उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सकेगा।

332

(iii) इसके सफल कार्यान्वयन से मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ भू–जल स्तर में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। इससे यह राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी "जल–जीवन–हरियाली अभियान" में भी सहायक होगी।

(iv) इससे किसानों को रोजगार के साथ–साथ आय में अभिवृद्धि होगी तथा सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

4. योजना का भौतिक एवं वित्तीय आकार :–

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 187 हे0 चौर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है जो सभी वर्गो के कृषकों (लाभार्थियों) के लिए कर्णांकित है, जिसमें 100 हे0 उद्यमी आधारित लाभुक हेतु प्रस्तावित है, जो कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 187 हे0 के अन्तर्गत सम्मिलित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन पर सब्सिडी स्वरूप कुल ₹ 906.015 लाख एवं प्रशासनिक व्यय हेतु कुल ₹ 10.00 लाख अथार्त कुल ₹ 916.015 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु०) मात्र व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–I एवं III संलग्न)।

5. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणीः–

(i). प्रस्तावित समेकित चौर विकास योजना राज्य के चौर बाहुल्य जिलों में निजी क्षेत्र के चौर भूमि में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ii). यह योजना वर्तमान में एक वर्ष के लिए प्रस्तावित है। परंतु चतुर्थ "कृषि रोड मैप" के तहत यह योजना थ्रस्ट एरिया के रूप में चिन्हित एवं स्वीकृत है तथा कृषि रोड मैप के अवधि (2023–2028) तक 25000 हे0 चौर भूमि को विकसित करने का लक्ष्य है। इसलिए यह योजना आगे के वर्षों में भी क्रियान्वित रहेगी।

(iii). योजनान्तर्गत निजी चौर भूमि के समेकित विकास हेतु कुल तीन मॉडल प्रस्तावित हैं। इन मॉडलों के तहत् तालाब का निर्माण किया जायेगा तथा निकाले गये मिट्टी से बाँध एवं संलग्न भूमि का भराव किया जायेगा। मॉडल के अनुसार तालाब की गहराई एवं बाँध की ऊँचाई अलग–अलग है जिसमें लाभुक के इच्छानुसार एक हेक्टयर रकबा में न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार तालाब का निर्माण किया जायेगा। स्थल चयन उच्चतम बाढ़ स्तर (Highest Flood Level) को दृष्टिपथ रखते हुए किया जाएगा एवं ईनलेट–ऑउटलेट तथा तालाब के बाँध की ऊँचाई तदनुसार निर्धारित की जायेगी एवं बाँध का मजबूतीकरण किया जाएगा। साथ ही, चौर क्षेत्र में प्राकृतिक मुख्य निकासी जल–मार्ग में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ताकि बाढ़ से संरचना के क्षति को रोका जा सके।

(iv). योजनान्तर्गत चौर भूमि को इस प्रकार से विकसित की जाएगी जिससे चौर भूमि का कम से कम 20 प्रतिशत एरिया (सबसे गहरे भाग) अपने मूल स्वरूप में रहे। चौर क्षेत्र के परिधि वाले भाग में मॉडल आधारित तालाब का निर्माण किया जाएगा तथा बीच का चौर भूमि पानी निकासी, प्राकृतिक जल

निकासी मार्ग के रूप में उपलब्ध रहेगा ताकि चौर का प्राकृतिक स्परूप एवं जैव विविधता भी बरकार रहे।

(v). योजनान्तर्गत चौर विकास हेतु "लाभुक आधारित चौर विकास" एवं "उद्यमी आधारित चौर विकास" प्रस्तावित है।

(vi). चौर विकास हेतु अनुशंसित मॉडलों के इकाई लागत का लाभुक आधारित (व्यक्तिगत/परिवार/समूह) चौर विकास हेतु सब्सिडी की राशि सभी वर्ग के लाभुकों को 50 प्रतिशत देय होगा। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास में निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में अनुमान्य होगा। कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के साथ समावेशन एवं अभिसरण की स्थिति में उक्त अवयव हेतु संबंधित विभाग से देय सब्सिडी की अनुमान्यता इसके अतिरिक्त होगी।

(vii). योजनान्तर्गत चौर विकास हेतु अधिकतम इकाई लागत ₹ 9.69 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित की गई है। चौर विकास के विभिन्न मॉडल की विवरणी तथा कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के विभिन्न अवयव अनुलग्नक–II पर संलग्न है। विभिन्न मॉडल के प्राक्कलन एवं डिजाईन अनुलग्नक–IV पर संलग्न है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–V पर संलग्न है।

(viii). योजनान्तर्गत तालाब के बाहरी बाँध के स्लोप एवं शेष विकसित भूमि पर कृषि, बागवानी एवं कृषि–वानिकी का चयन लाभार्थी स्वेच्छा से कर सकेंगे। साथ ही कृषि एवं संबद्ध अवयवों का चयन बाध्यकारी नहीं होगा।

(ix). योजनान्तर्गत निर्धारित एक अथवा एक से अधिक मॉडल आधारित अवयवों का चुनाव लाभार्थी स्वेच्छा से कर सकेंगे।

(x). योजनान्तर्गत **₹** 10.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकता एवं जन जागरूकता) मद में व्यय हेतु कर्णांकित किया गया है। प्रशासनिक व्यय के तहत कर्णाकित राशि से प्रश्नगत योजना का प्रचार–प्रसार, चौर का चिन्हिकरण, प्रशिक्षण/कृषक गोष्ठी, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, आवश्यक सांगठनिक एवं तकनीकी सहयोग, कम्प्यूटर एवं इससे सम्बद्ध सामाग्री, फर्निचर, बैनर, पोस्टर, पेम्फलेट, फोटोग्राफी हेतु कैमरा, वृत चित्र एवं लघु फिल्म, कॉफी बुक, प्रलेखन आदि कार्यो का सम्पादन किया जा सकेगा।

6. जिला स्तर पर चौर विकास हेतु निम्न कार्य किए जाऐगें:–

(i) निजी चौर भूमि का चिन्हीकरण एवं चौर का क्षेत्रफल का आकलन करना।

(ii) निजी भू–स्वामियों की सूची (रकवा के साथ) तैयार करना।

(iii) जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार, कृषक गोष्ठी का आयोजन।

(iv) समूह का निर्माण।

(v) आवेदन सृजित करना।

(vi) प्रशिक्षण एवं योजना का क्रियान्वयन।

प्राक्कलित / लागत राशि–
सब्सिडी की राशि–
आच्छादित जलक्षेत्र–

(xi) उक्त योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. कनीय अभियंता – सदस्य।
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य।

उक्त समिति प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार बैठक आहूत करेगी।

(xii) राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन में कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होने पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित "प्रबंधन समिति" उचित निर्णय ले सकेगी। उक्त समिति के सदस्य निम्नवत होंगे –

1. विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव – अध्यक्ष।
2. विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव – सदस्य।
3. निदेशक मत्स्य –सदस्य सचिव।
4. निदेशक, कृषि – सदस्य।
5. मुख्य वन संरक्षक – सदस्य।
6. मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग – सदस्य।
7. आई०सी०ए०आर०, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य।
8. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य।
9. केन्द्रीय कृषि विश्वविधालय, पुसा, समस्तीपुर के प्रतिनिधि – सदस्य।

उपरोक्त वर्णित "प्रबंधन समिति" के निम्न कार्य होंगे :–

(क) जिला स्तर पर की जा रही उक्त योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा।

(ख) योजना के क्रियान्वयन में जमीन संबंधी मामला एवं अन्य सभी संभार सहायता में जिला स्तर पर होने वाली कठिनाईयों का अनुश्रवण एवं निराकरण।

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक छः माह अथवा आवश्यकतानुसार की जाएगी।

(xiii) किसी प्राकृतिक आपदा से क्षति की स्थिति में (बीमा के दावों को छोड़कर) इस योजना के तहत किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xiv) भूमि विवाद की स्थिति में अगर योजना प्रभावित होती है तो सब्सिडी राशि के वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी।

(xv) चौर क्षेत्र के लाभुक किसानों का स्वेच्छापूर्वक एफ0पी0ओ0 बनाकर मत्स्य इनपुट की उपलब्धता, विपणन आदि कार्यों में सहयोग दिया जा सकेगा।

(xvi) चूँकि प्रस्तावित योजना लाभुक आधारित योजना है, अतएव इस योजनान्तर्गत निर्मित अवयवों पर सेस (कर) देय नहीं होगा।

(xvii) योजनान्तर्गत विकसित होने वाले चौरों का Geo Tagging, डाटाबेस का संधारण की पूर्ण जिम्मेवारी जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

(xviii) लाभुकों को उपर्युक्त वर्णित चौर मॉडलों तथा कृषि, बागवानी एवं वानिकी अवयवों में से किसी एक अथवा एक से अधिक मॉडलों का चयन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर करने की स्वतंत्रता होगी। लाभुक अपने कुल भूमि में से अलग–अलग भूमि पर अलग–अलग मॉडल हेतु भी आवेदन कर सकते हैं।

(xix) योजनान्तर्गत निर्धारित तीनों मॉडल प्रतीकात्मक हैं। लाभुक चौर भूमि स्थल के वास्तविक भौतिक "तलरूप" (Topography) एवं अपनी आवश्यकता के आधार पर तालाब के बाँध की ऊँचाई एवं गहराई क्षेत्र के उच्चतम बाढ़ स्तर को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवर्तित कर सकेगें, परंतु देय सब्सिडी की अनुमान्यता तालाब की औसत गहराई एवं डिजाईन के अनुसार ही देय होगी। निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन किया जाएगा।

(xx) विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यालय पत्रांक–18, दिनांक–05.01.2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के कंडिका–I–II तथा अन्य सन्दर्भित निदेश लागू रहेंगे।

11. स्कीम अन्तर्गत तीनों मॉडलों पर जल संसाधन विभाग एवं लघु जल–संसाधन विभाग से योजना–प्राक्कलन एवं डीजाईन में तकनीकी अनुमोदन (vetting) प्राप्त है।

12. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे एवं कार्य की प्रगति के संबंध में उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

324

14. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

16. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 विषय शीर्ष–0117.13.01 –कार्यालय व्यय एवं विषय शीर्ष–0117.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग के माध्यम प्राप्त कर किया जायेगा।

17. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ–155/टि० एवं दिनांक–21.05.2026.

18. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

19. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ संख्या–153/टि० डायरी क्रमांक–272, दिनांक–06.05.2026.

20. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, योजना विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी, बिहार/निदेशक, कृषि/मुख्य वन संरक्षक/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/आई०सी०ए०आर०, पटना/बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी/सभी कनीय अभियंता, बिहार/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07/2020–2611 /पटना–15, दिनांक–02/06/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

11 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष--2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, के तहत अनुदानित दर पर निजी क्षेत्र में **सात निश्चय–2 के तहत** ***"मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना"*** का भौतिक एवं अनुमानित वित्तीय व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	अवयव का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (हे०)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(निजी चौर इनपुट सहित (लाभुक आधरित)	लघु शीर्ष--101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117	0117.13.01 –कार्यालय व्यय	-	10.00	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	कोषागार (संबंधित) बिहार
			0117.33.01 –सब्सिडी	187	906.015		
			कुल :–	187	916.015		

कुल (नौ करोड़ सोलह लाख एक हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

नोट :– इस योजनान्तर्गत उद्यमी आधारित वांछित दस्तावेज सहित पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 कुल लक्ष्य में से परिवर्तन योग्य होगा तथा निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में अनुमान्य होगा।

2611
02/06/26

सरकार के संयुक्त सचिव

13 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–II

मॉडल–01 : "एक हेक्टर रकवा में दो तालाब का निर्माण"

प्रस्तावित इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में दो तालाब का निर्माण किया जाएगा जिसमें कुल जलक्षेत्र 0.59 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 1.1 मीटर की जाएगी। परिधिय बाँध की उँचाई 2.5 मीटर होगी तथा दोनो तालाबों के बीच का बाँध की उँचाई 2 मीटर होगी तथा 15 मीटर ग10 मीटर का रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण किया जा सकेगा। रेज्ड प्लेटफार्म का उपयोग कृषि सहित बहुउपयोगी कार्यो के लिए किया जा सकेगा। उक्त मॉडल में तालाब निर्माण का इकाई लागत रूपए 6.52 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत विकसित तालाब के बाँध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में उँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नहीं हो।

योजना के तहत मॉडल–01 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	इकाई लागत (प्रति हे0 रकवा) लाख में
तालाब निर्माण	6.52
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे0 जलक्षेत्र)	2.36 (0.59 हे0 सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	**8.88**

मॉडल 01 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.59 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्से में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी हेतु लगभग 1730 वर्ग मीटर या 0.173 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

2611
02/06/26

मॉडल–02 :– "एक हेक्टर रकवा में चार तालाब का निर्माण"

इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में चार तालाब का निर्माण किया जाएगा जिसमें कुल जलक्षेत्र 0.57 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 1.0 मीटर की जाएगी। परिधिय बाँध की उँचाई एवं तालाबों के बीच के बाँध की उँचाई 2 मीटर होगी तथा 10 मीटर ग 10 मीटर का रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण किया जा सकेगा। रेज्ड प्लेटफार्म का उपयोग कृषि सहित बहुउपयोगी कार्यो के लिए किया जा सकेगा। इस मॉडल के तहत तालाब निर्माण पर कुल इकाई लागत रूपए 5.04 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत विकसित तालाब के बाँध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में उँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नही हो।

योजना के तहत मॉडल–02 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	इकाई लागत (प्रति हे0 रकवा) लाख में
तालाब निर्माण	5.04
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे0 जलक्षेत्र)	2.28 (0.57 हे0 सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	**7.32**

मॉडल 02 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.57 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्से में कृषि, बागवानी एवं कृषिवानिकी हेतु लगभग 1400 वर्ग मीटर या 0.140 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

2611
02/06/26

मॉडल–03 :– "एक हेक्टर रकवा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास"

इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में एक तालाब का निर्माण तथा संलग्न भूमि का विकास किया जाएगा। इसमें कुल जलक्षेत्र 0.40 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 2.0 मीटर की जाएगी। परिधिय बाँध तथा दोनो तालाबों के बीच का बाँध की उँचाई 2 मीटर होगी तथा 100 मीटर ग 35 मीटर वर्गक्षेत्र में 1.35 मीटर मिट्टी की भराई कर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा सकेगा जिसका कुल इकाई लागत रूपए 8.09 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत कृषि योग्य विकसित भूमि एवं तालाब के बाँध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में उँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नही हो।

योजना के तहत मॉडल– 03 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	**इकाई लागत (प्रति हे0 रकवा) लाख में**
तालाब निर्माण	8.09
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे0 जलक्षेत्र)	1.60 (0.40 हे0 सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	**9.69**

मॉडल 03 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.40 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्से में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी हेतु लगभग 5712 वर्ग मीटर या 0.5712 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

2611
02/06/26

तालाब निर्माण के अलावे कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के सम्बद्ध अवयव (स्वेच्छिक)

उपर्युक्त चौर विकास के मॉडलों के साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि–वानिकी विभागों के निम्नलिखित अवयवो को समन्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा देय सब्सिडी निम्नरूपेण अनुमान्य होगाः–

क्र०	अवयव का नाम	इकाई लागत (प्रति हे० रकवा) लाख में	देय सब्सिडी (प्रतिशत)	देय सब्सिडी / सहायता राशि (लाख में)
i	केला	1.25	50	0.625
ii	पपीता	0.60	50	0.45
iii	सब्जी (हाईब्रीड)	0.50	40	0.20
iv	सब्जी (खुला परागण)	0.30	40	0.12
v	आम	1.00	50	0.50
vi	मेंथा	0.50	40	0.2
vii	अमरूद	1.00	50	0.50
viii	नींबू	0.80	50	0.40
ix	शरीफा	1.06	40	0.424
x	अनार	0.48	40	0.192
xi	करौंदा	0.2825	50	0.14125
xii	Strawberry	1.785	40	0.714
xiii	Input for Oilseed Production			0.60
xiv	Input for Horse gram Production			0.082
xv	Input for Dhaincha Production			0.03
xvi	Input for Ragi Production			0.03
xvii	Input for wheat Production			0.082
xviii	Khus	0.40	50	0.20

कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के उपर्युक्त अवयवो के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तकनिकी सहयोग कृषि विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से लिया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने जिले के कृषि तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पौधा, इनपुट आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

2611
02/06/26

अनुलग्नक–III

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(रकवा–हेक्टेयर में तथा राशि–लाख में)

क्र0	*निजी चौर इनपुट सहित (हे0 में) इकाई लागत 9.69 लाख/हे0 (लाभुक आधारित)*						
	इकाई लागत प्रति हे0	अनुदान प्रतिशत	*सभी वर्ग के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)*			प्रशासनिक व्यय (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
			रकवा (हे0)	राशि (लाख में)	अनुदान (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9.69	50	187.00000	1812.03000	906.01500	10.00000	916.01500

नोट :– इस योजनान्तर्गत उद्यमी आधारित वांछित दस्तावेज सहित पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 कुल लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा तथा निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में अनुमान्य होगा।

2611
02/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–IV

Fish Pond Construction Under Chour Developement Scheme

Model-1

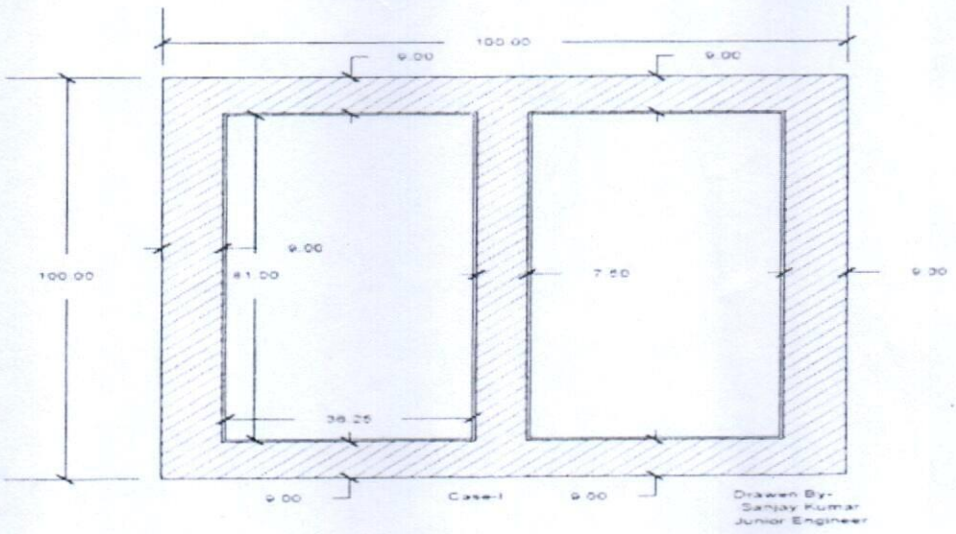

Model for Developement of Wetland for Integrated Farming

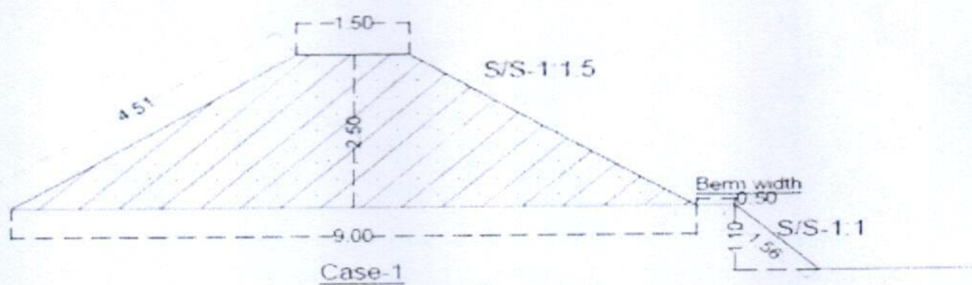

Case-1

(C/S Area-13.125 Sq-M)

Drawen By-

Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoate of Fisheries
Bihar, Patna

2611
02/06/26

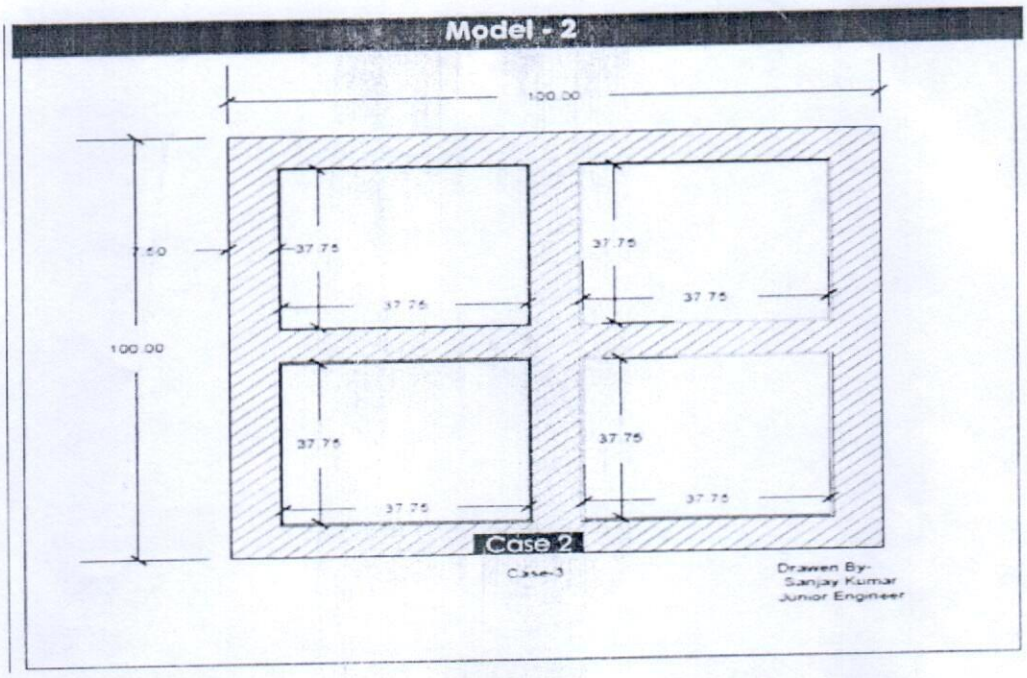
Model - 2
100.00
7.50
100.00
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
Case 2
Case-3
Drawen By-
Sanjay Kumar
Junior Engineer

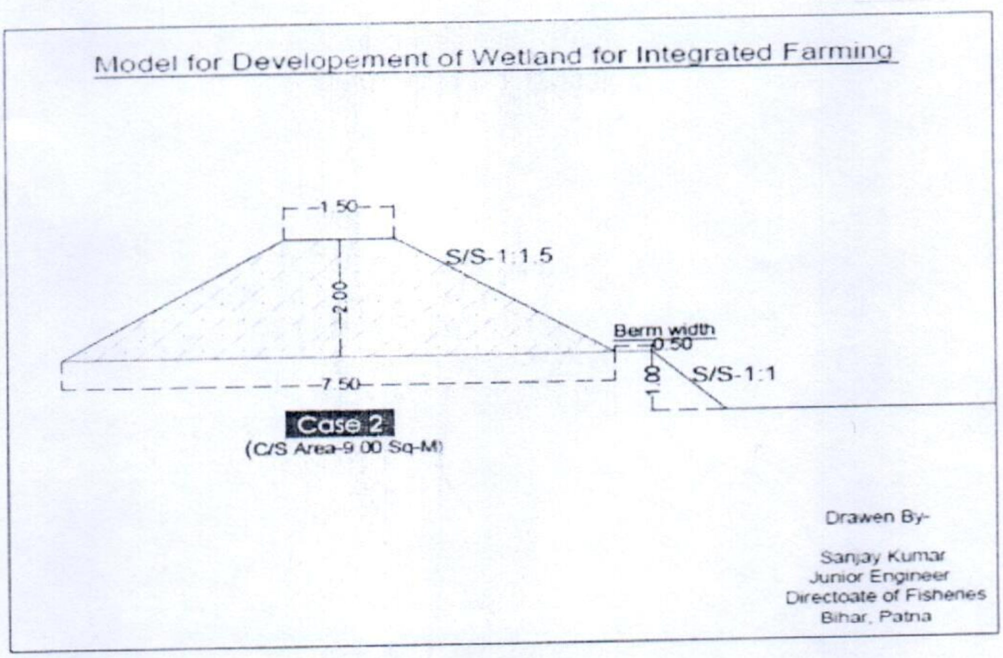
Model for Developement of Wetland for Integrated Farming
1.50
S/S-1:1.5
2.00
Berm width
0.50
1.00
S/S-1:1
7.50
Case 2
(C/S Area-9.00 Sq-M)
Drawen By-
Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoate of Fisheries
Bihar, Patna

314

Fish Pond Construction Under Development Scheme
Model - 3

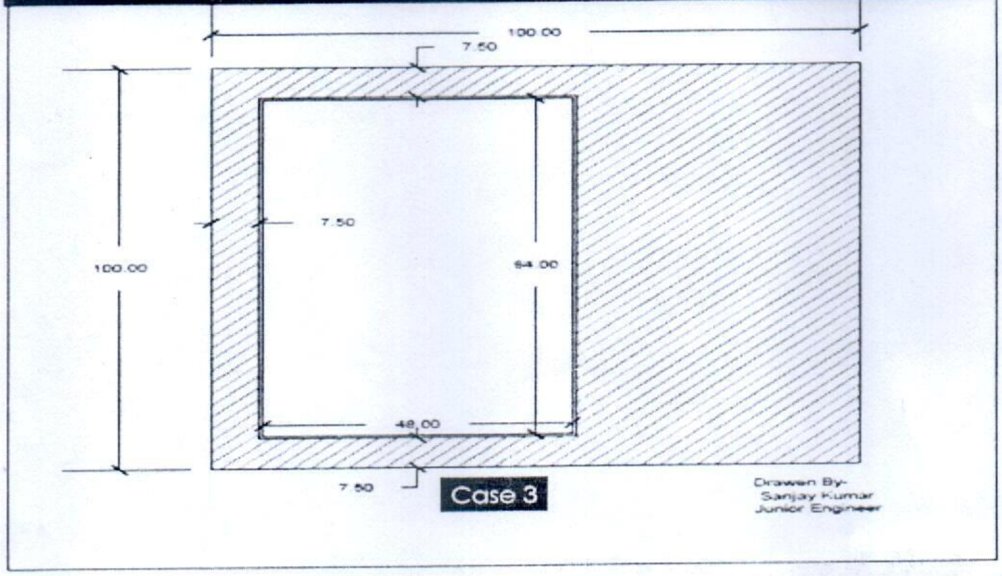

Model for Developement of Wetland for Integrated Farming

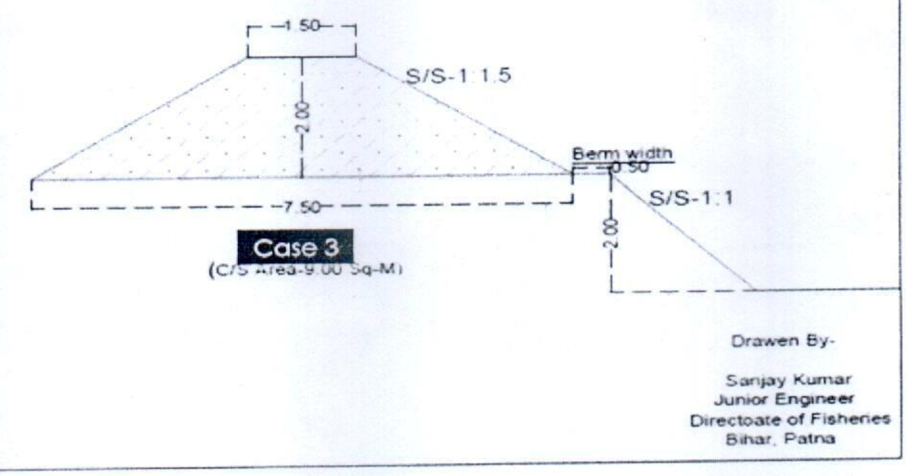

2611
02/06/26

अनुलग्नक –V

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	निजी चौर इनपुट सहित (लाभुक आधारित), इकाई लागत 9.69 लाख/हे0 सभी वर्गो के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)		प्रशासनिक व्यय (लाख में)	कुल व्यय राशि (लाख में)
		रकवा (हे0)	अनुदान राशि (लाख)		
1	2	3	4	5	6
1	पटना	2.00	9.69000	0.25000	9.94000
2	बक्सर	2.00	9.69000	0.25000	9.94000
3	सुपौल	11.00	53.29500	0.50000	53.79500
4	मधेपुरा	3.00	14.53500	0.25000	14.78500
5	सहरसा	9.00	43.60500	0.50000	44.10500
6	पश्चिम चम्पारण	6.00	29.07000	0.50000	29.57000
7	पूर्वी चम्पारण	6.00	29.07000	0.50000	29.57000
8	सीतामढ़ी	9.00	43.60500	0.50000	44.10500
9	शिवहर	5.00	24.22500	0.25000	24.47500
10	मुजफ्फरपुर	22.00	106.59000	0.75000	107.34000
11	वैशाली	9.00	43.60500	0.50000	44.10500
12	समस्तीपुर	10.00	48.45000	0.50000	48.95000
13	मधुबनी	31.00	150.19500	0.75000	150.94500
14	दरभंगा	6.00	29.07000	0.50000	29.57000
15	अररिया	3.00	14.53500	0.25000	14.78500
16	किशनगंज	6.00	29.07000	0.50000	29.57000
17	पूर्णियाँ	5.00	24.22500	0.25000	24.47500
18	कटिहार	3.00	14.53500	0.25000	14.78500
19	भागलपुर	5.00	24.22500	0.25000	24.47500
20	बेगुसराय	5.00	24.22500	0.25000	24.47500
21	खगड़िया	9.00	43.60500	0.50000	44.10500
22	गोपालगंज	6.00	29.07000	0.50000	29.57000
23	सिवान	9.00	43.60500	0.50000	44.10500
24	सारण	5.00	24.22500	0.25000	24.47500
	कुल योग	**187.00**	**906.01500**	**10.00000**	**916.01500**

नोट:–(1) उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 कुल लक्ष्य में से परिवर्तन योग्य होगा।
(2) जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

6/1 /06/26

सरकार के संयुक्त सचिव